बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

(शुद्धि–पत्र)

पटना–15, दिनांक : **07 फरवरी**, 2019

संख्या–1/सी0–1005/2007–सा0प्र0–1685/विभागीय अधिसूचना संख्या–1/सी0–1005/2007–सा0प्र0–63 दिनांक 04.01.2011 के माध्यम से श्री राजित पुनहानी, भा0प्र0से0 (बी एच : 91) को अधिसमय वेतनमान में प्रदत्त प्रोन्नति, विभागीय अधिसूचना संख्या–3134 दिनांक 06.03.2018 से श्री एस. सिद्धार्थ, भा0प्र0से0(बी एच : 91) द्वारा अधिसमय वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि (01.01.2008) से पुनरीक्षित की गयी थी।

2. महालेखाकार (ले.एवं ह.) का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक–जी एन :040120190100043–जी ई एन सं. : 0917/2018–2019 द्वारा प्रतिवेदित सूचना के अनुसार, दिनांक 01.01.2008 से दिनांक 31.03.2008 तक अध्ययन अवकाश पर रहने के कारण श्री सिद्धार्थ द्वारा अधिसमय वेतनमान का प्रभार दिनांक 04.04.2008 को ग्रहण किया गया ।

3. **वर्णित आलोक में श्री राजित पुनहानी, भा0प्र0से0(91) को विभागीय अधिसूचना संख्या–3134 दिनांक 06.03.2018 द्वारा अधिसमय वेतनमान में अनुमान्य किया गया आलोच्य पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 04.04.2008 से प्रभावी माना जायेगा।**

4. विभागीय अधिसूचना संख्या–1/सी0–1005/2007–सा0प्र0–3134 दिनांक 06.03.2018 की अन्य स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

7.2.19

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 1/सी0–1005/2007–सा0प्र0–1685/पटना–15, दिनांक: **07 फरवरी, 2019**

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा–आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/ राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/श्री राजित पुनहानी, भा0प्र0से0(बी एच : 91), महानिदेशक(श्रम कल्याण), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, जैसलमर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110 011/संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

7.2.19

सरकार के अवर सचिव।